


AMITY UNIVERSITY MADHYA PRADESH



Standard Operating Procedures (SOP) for Policy on Pay Scale Equity and Fair Compensation

(Total 3 pages)



Ref. No. AUMP/RO/2024/47(a)

Date :22.01.2024

Policy on Pay Scale Equity and Fair Compensation

1. Policy on Pay Scale Equity and Fair Compensation

The *Policy on Fair Employment and Equitable Treatment of Employees* reflects the University's commitment to upholding the highest standards of integrity, fairness, and respect in all employment practices.

2. Objectives

To ensure a transparent, equitable, and merit-based compensation framework at Amity University Madhya Pradesh (AUMP), guaranteeing equal pay for equal work irrespective of gender or category and aligning all salary structures with statutory and regulatory norms.

3. Scope

This policy applies to all categories of employees — teaching, non-teaching, administrative, technical, and outsourced support staff.

4. Principles

- (a) The University shall follow a pay-scale-based compensation methodology applicable uniformly to all levels of employees, irrespective of gender, age, religion, or category.
- (b) For teaching faculty, the University shall implement scales as approved by the management.
- (c) For non-teaching staff, remuneration shall be based on industry standards and periodic market benchmarking while ensuring fairness and internal parity.
- (d) For support and outsourced staff, the University shall adhere to the minimum wages notified by the Government of Madhya Pradesh and extend social-security benefits as per law.
- (e) All employee selections shall be made through a duly constituted Selection Board chaired by the Hon'ble Pro Chancellor/Vice Chancellor to ensure objectivity and fair placement within the approved scale.

5. Legal Framework and Compliance

This policy draws its authority from the Equal Remuneration Act (1976), Code on Wages (2019), and guidelines of the University Grants Commission (UGC) and Government of Madhya Pradesh on fair employment practices.

6. **Implementation**

- (a) The Human Resources Department shall maintain, and review salary data segregated by gender and employment category to monitor parity.
- (b) Any disparities detected shall be examined and rectified through consultation with the Director HR.
- (c) Annual compensation reviews shall include an assessment of gender pay ratios and parity across departments.
- (d) Equal opportunity in promotion, increment, and incentive considerations shall be ensured through a transparent appraisal process.

7. **Action Plan**

- (a) HR shall prepare an annual "Pay Equity Review" to track salary distribution by gender and position.
- (b) Findings shall be shared with the Hon'ble Pro Chancellor for oversight and policy adjustment if required.
- (c) The HR Department should ensure that updates to pay scales and minimum wage notifications are implemented in a timely manner.


Registrar
22/01/24

Copy to :

- 1. **Hon'ble Pro Chancellor Secretariate**
- 2. **O/o Hon'ble Vice Chancellor**
- 3. **HR Department**
- 4. **Office Record**

Amity University Madhya Pradesh, Gwalior

Increments	Payband	AGP	DA 30%	HRA 15 %	TA+CCA	Gross Salary
Assistant Professor <u>Grade-I</u> (15600-39100) (275)						
Temporary Scale						
0	15600	0	4680	2340	0	22620
1	15875	0	4763	2381	0	23019
2	16150	0	4845	2423	0	23418
3	16425	0	4928	2464	0	23816
4	16700	0	5010	2505	0	24215
5	16975	0	5093	2546	0	24614
Regular						
0	15600	6000	6480	3240	0	31320
1	15875	6000	6563	3281	0	31719
2	16150	6000	6645	3323	0	32118
3	16425	6000	6728	3364	0	32516
4	16700	6000	6810	3405	0	32915
5	16975	6000	6893	3446	0	33314
6	17250	6000	6975	3488	0	33713
7	17525	6000	7058	3529	0	34111
8	17800	6000	7140	3570	0	34510
9	18075	6000	7223	3611	0	34909
10	18350	6000	7305	3653	0	35308
11	18625	6000	7388	3694	0	35706
12	18900	6000	7470	3735	0	36105
13	19175	6000	7553	3776	0	36504
14	19450	6000	7635	3818	0	36903
15	19725	6000	7718	3859	0	37301

Assistant Professor <u>Grade-II</u> (15600-39100) (325)						
Temporary Scale						
0	17600	0	5280	2640	0	25520
1	17925	0	5378	2689	0	25991
2	18250	0	5475	2738	0	26463
3	18575	0	5573	2786	0	26934
4	18900	0	5670	2835	0	27405
5	19225	0	5768	2884	0	27876
Regular						
0	17600	7000	7380	3690	0	35670
1	17925	7000	7478	3739	0	36141
2	18250	7000	7575	3788	0	36613
3	18575	7000	7673	3836	0	37084
4	18900	7000	7770	3885	0	37555
5	19225	7000	7868	3934	0	38026
6	19550	7000	7965	3983	0	38498
7	19875	7000	8063	4031	0	38969
8	20200	7000	8160	4080	0	39440
9	20525	7000	8258	4129	0	39911
10	20850	7000	8355	4178	0	40383
11	21175	7000	8453	4226	0	40854
12	21500	7000	8550	4275	0	41325
13	21825	7000	8648	4324	0	41796
14	22150	7000	8745	4373	0	42268
15	22475	7000	8843	4421	0	42739

Amity University Madhya Pradesh, Gwalior

Increments	Payband	AGP	DA 30%	HRA 15 %	TA+CCA	Gross Salary
Assistant Professor <u>Grade-III</u> (15600-39100) (420)						
Temporary Scale						
0	19600	0	5880	2940	0	28420
1	20020	0	6006	3003	0	29029
2	20440	0	6132	3066	0	29638
3	20860	0	6258	3129	0	30247
4	21280	0	6384	3192	0	30856
5	21700	0	6510	3255	0	31465
Regular						
0	19600	8000	8280	4140	0	40020
1	20020	8000	8406	4203	0	40629
2	20440	8000	8532	4266	0	41238
3	20860	8000	8658	4329	0	41847
4	21280	8000	8784	4392	0	42456
5	21700	8000	8910	4455	0	43065
6	22120	8000	9036	4518	0	43674
7	22540	8000	9162	4581	0	44283
8	22960	8000	9288	4644	0	44892
9	23380	8000	9414	4707	0	45501
10	23800	8000	9540	4770	0	46110
11	24220	8000	9666	4833	0	46719
12	24640	8000	9792	4896	0	47328
13	25060	8000	9918	4959	0	47937
14	25480	8000	10044	5022	0	48546
15	25900	8000	10170	5085	0	49155

Associate Professor (37400-67000) (450)						
Temporary Scale						
0	37400	0	11220	5610	0	54230
1	37850	0	11355	5678	0	54883
2	38300	0	11490	5745	0	55535
3	38750	0	11625	5813	0	56188
4	39200	0	11760	5880	0	56840
Regular						
0	37400	9000	13920	6960	0	67280
1	37850	9000	14055	7028	0	67933
2	38300	9000	14190	7095	0	68585
3	38750	9000	14325	7163	0	69238
4	39200	9000	14460	7230	0	69890
5	39650	9000	14595	7298	0	70543
6	40100	9000	14730	7365	0	71195
7	40550	9000	14865	7433	0	71848
8	41000	9000	15000	7500	0	72500
9	41450	9000	15135	7568	0	73153
10	41900	9000	15270	7635	0	73805

Amity University Madhya Pradesh, Gwalior

Increments	Payband	AGP	DA 30%	HRA 15 %	TA+CCA	Gross Salary
Professor (37400-67000) (450)						
Temporary Scale						
0	37400	0	11220	5610	0	54230
1	37850	0	11355	5678	0	54883
2	38300	0	11490	5745	0	55535
3	38750	0	11625	5813	0	56188
4	39200	0	11760	5880	0	56840
5	39650	0	11895	5948	0	57493

Regular						
0	37400	10000	14220	7110	0	68730
1	37850	10000	14355	7178	0	69383
2	38300	10000	14490	7245	0	70035
3	38750	10000	14625	7313	0	70688
4	39200	10000	14760	7380	0	71340
5	39650	10000	14895	7448	0	71993
6	40100	10000	15030	7515	0	72645
7	40550	10000	15165	7583	0	73298
8	41000	10000	15300	7650	0	73950
9	41450	10000	15435	7718	0	74603
10	41900	10000	15570	7785	0	75255
11	42400	10000	15720	7860	0	75980
12	42900	10000	15870	7935	0	76705
13	43400	10000	16020	8010	0	77430
14	43900	10000	16170	8085	0	78155
15	44400	10000	16320	8160	0	78880
16	44900	10000	16470	8235	0	79605
17	45400	10000	16620	8310	0	80330
18	45900	10000	16770	8385	0	81055
19	46400	10000	16920	8460	0	81780
20	46900	10000	17070	8535	0	82505
21	47400	10000	17220	8610	0	83230
22	47900	10000	17370	8685	0	83955
23	48400	10000	17520	8760	0	84680
24	48900	10000	17670	8835	0	85405
25	49400	10000	17820	8910	0	86130
26	49900	10000	17970	8985	0	86855
27	50400	10000	18120	9060	0	87580
28	50900	10000	18270	9135	0	88305
29	51400	10000	18420	9210	0	89030
30	51900	10000	18570	9285	0	89755
31	52400	10000	18720	9360	0	90480
32	52900	10000	18870	9435	0	91205
33	53400	10000	19020	9510	0	91930
34	53900	10000	19170	9585	0	92655
35	54400	10000	19320	9660	0	93380
36	54900	10000	19470	9735	0	94105
37	55400	10000	19620	9810	0	94830

ANNEX B

Browser tabs: Mail - Sunil Kumar Shrivastava, minimum wages in mp - Google, DMS, Labour Department, Gov

Address bar: labour.mponline.gov.in/Portal/Services/Shram/DMS/Citizen/Display_Documents.aspx

ID	From	Subject	Reference No.	Date	Description	Summary	Thumbnail
67	Labour Commissioner HO, Indore	Minimum Wages	8621-870	13/03/2024	Regarding making the revised minimum wage rates, including variable dearness allowance, effective from 01.04.2024 for the workers of the state under the Minimum Wage Act, 1948.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।	
68	Labour Commissioner HO, Indore	Minimum Wages	7370-620	13/03/2024	Minimum Wages w.e.f 01.04.2024 Book	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दिनांक 01/04/2024 से प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें (पुस्तक)	
69	Labour Commissioner HO, Indore	Minimum Wages	68	04/03/2024	Regarding making the revised minimum wage rates, including variable dearness allowance, effective from 01.04.2024 for the workers of the state under the Minimum Wage Act, 1948.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावशील करने के संबंध में।	

Windows taskbar: 19°C Haze, 10:56, 05-03-2025



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट

www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-34
अन्य	पृष्ठ क्र. 35-37

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 7370-620

इन्दौर, दिनांक 13/03/2024


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं संजय गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी-जून, 2019), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।


 (संजय गुप्ता) 13/3/24

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश शासन

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्र. 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/...~~7.3.70~~...~~6.20~~ दिनांक 1.3/03/2024 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माही का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर (400-386)=14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (25X14)=350/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-311)= 89 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (25X89)=2225/- रुपये प्रतिमाह या (2225+26) रुपये 85.58 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	अकुशल	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	अर्धकुशल	10571	406.57	2225	85.58	12796	492.15	492
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	कुशल	12294	472.85	2225	85.58	14819	558.43	558
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्चकुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.93	621

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। विशेष टिप : उपयुक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टिप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

(संजय गुप्ता)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर